बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक 367885 पटना, दिनांक 07/05/18

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(IAY अन्य)-102-31/2016

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

<u>सभी जिला पदाधिकारी,</u>
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की स्थायी प्रतीक्षा सूची से अयोग्य परिवार का नाम delete करने के संबंध में ।**

प्रसंग :- विभागीय पत्र संख्या-359573 दिनांक-13.03.18

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की स्थायी प्रतीक्षा सूची में अयोग्य परिवारों का नाम शामिल रहने के कारण पात्र लाभुकों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं रहने से लक्ष्य के आलोक में आवास की स्वीकृति प्रदान करने में आ रही कठिनाईयों को देखते हुए भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय से स्थायी प्रतीक्षा सूची से अयोग्य परिवारों का नाम delete करने से संबंधित प्राप्त दिशा-निर्देश के आलोक में प्रासंगिक विभागीय पत्र द्वारा विस्तृत क्रियाविधि से अवगत कराया गया था, जिसमें मात्र 3 कारक (1-परिवार के पास पक्का मकान है/अन्य आवास योजना से लाभ प्राप्त परिवार, 2- परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गयी है और SECC 2011 के डाटा में कोई वैध उत्तराधिकारी नामित नहीं है, 3- परिवार स्थायी रूप से पलायित है) वाले परिवारों का नाम ही delete करने संबंधी तैयार किये जाने वाले अभिलेख प्रारूप में प्रावधान किया गया था ।

उपर्युक्त के प्रसंग में भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र संख्या-J-11060/04/2017-RH(A/C) दिनांक-14.03.18 द्वारा स्थायी प्रतीक्षा सूची से नाम delete करने का उपर्युक्त प्रावधानों के अतिरिक्त सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 में आवास की आवश्यकता वाले चिन्हित किये जाने वाले परिवारों के स्वत: वर्जन (exclusion) के लिए निर्धारित 13 बिन्दु के आधार पर भी नाम delete करने का भी निदेश प्राप्त हुआ है ।

उपर्युक्त अद्यतन प्राप्त निदेश के आलोक में प्रतीक्षा सूची से अयोग्य परिवारों का नाम delete करने हेतु तैयार किये जाने वाले अभिलेख प्रारूप की संशोधित प्रति संलग्न की जा रही है । आवास सॉफ्ट पर नाम delete करने की क्रियाविधि प्रासंगिक पत्र द्वारा पूर्व में संसूचित क्रियाविधि के अनुरूप ही होगी ।

विदित है कि प्रतीक्षा सूची में अयोग्य परिवारों का नाम शामिल रहने के कारण संदर्भित वित्तीय वर्ष में लक्ष्य के विरूद्ध योग्य परिवारों को आवास की स्वीकृति नहीं हो पा रही है जबकि ऐसे अयोग्य परिवारों का नाम प्रतीक्षा सूची से delete कर दिये जाने पर संदर्भित वित्तीय वर्ष में लक्ष्य के अनुरूप योग्य परिवारों को सहज रूप से आवास की स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी ।

अनुरोध है कि उपर्युक्त के आलोक में स्थायी प्रतीक्षा सूची से delete करने की कार्रवाई तुरत प्रारंभ की जाय ताकि प्रतीक्षा सूची के योग्य परिवारों की वास्तविक सूची के आधार पर योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके ।

कृपया इसे प्राथमिकता दी जाय ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

4/5/2018

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 367885 पटना, दिनांक 07/05/18

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4/5/2018

सरकार के सचिव

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड-.................. जिला-.................. का कार्यालय

अभिलेख सं0-

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत प्राथमिकता सूची में सम्मिलित अयोग्य परिवारों का ग्राम सभा द्वारा पुर्नावलोकन एवं अनुमोदन से संबंधित अभिलेख

तिथि	विवरण	की गई कार्यवाही
दि0....................	श्री .... ग्रामीण आवास साहायक, ग्राम पंचायत- .... के द्वारा श्री .... ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत श्री .... पिता/पति - .... ग्राम-...............टोला-............................ग्राम पंचायत- .... का नाम दिनांक- .... को आयोजित ग्राम सभा की कार्यवाही के आधार पर प्राथमिकता सूची के क्रम सं0-......... पर अंकित है। लेकिन उक्त परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अयोग्य परिवारों के लिए निर्धारित / निम्नलिखित मापदण्डों के अनुसार आवास का लाभ पाने के योग्य नहीं है :- 1. परिवार के पास पक्का मकान है/ अन्य आवास योजना से लाभ प्राप्त परिवार। 2. परिवार की मुखिया की मृत्यु हो गयी है और SECC डाटा में कोई वैध उत्तराधिकारी नामित नहीं है। 3. परिवार स्थायी रूप से पलायित हैं। 4. मोटर वाहन- दो/तीन/चार पहिया वाहन। 5. मैकेनाइज्ड तीन/चार/पहिया कृषि उपकरण। 6. 50,000/- रूपये या उसके उपर की क्रेडिट सीमा के साथ किसान क्रेडिट सीमा के साथ किसान क्रेडिट कार्ड। 7. सरकारी नौकरी में परिवार के सदस्य हो। 8. गैर पंजीकृत कृषि उद्यमी परिवार। 9. परिवार के किसी भी सदस्य जिसकी प्रति माह 10,000/- रूपये से अधिक की आय। 10. इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले परिवार। 11. व्यावसायिक टैक्स का भुगतान करने वाले परिवार। 12. परिवार में रेफ्रीजेरेटर हो। 13. स्वयं का Landline फोन हो। 14. स्वयं की 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि तथा कम से कम एक सिंचाई उपकरणों के साथ हो। 15. स्वयं की 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि जहाँ एक मौसम में दो या अधिक फसल होती हो। 16. स्वयं की 7.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि तथा कम से कम एक सिंचाई उपकरणों के साथ। (जो लागू हो उसे (√) अंकित करें) अतएव प्राथमिकता सूची से नाम हटाने के लिए अग्रेत्तर अपेक्षित कार्रवाई की अनुसंशा की जाती है। (नाम एवं हस्ताक्षर) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	अभिलेख उप विकास आयुक्त, ... को अग्रसारित की गई। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी

दि0....................	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ... से दिनांक- .... को श्री ....पिता/पति- .... ग्राम-...............टोला- ....ग्राम पंचायत-..................... का नाम दिनांक- .... को आयोजित ग्राम सभा की कार्यवाही के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्राथमिकता सूची क्रम सं0- .... से हटाने की अनुसंशा के साथ अभिलेख प्राप्त है । अधोहस्ताक्षरी द्वारा समीक्षोपरान्त उक्त परिवार का नाम प्राथमिकता सूची से हटाने संबंधी अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना से अनुसंशा की जाती है। (नाम एवं हस्ताक्षर) उप विकास आयुक्त जिला............	अभिलेख की स्कैन प्रति आवास सॉफ्ट के माध्यम से ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को अग्रसारित की गई। 2. अभिलेख प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ... को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु वापस की गई। उप विकास आयुक्त

नोट:- अयोग्य परिवारों का नाम स्थायी प्रतीक्षा सूची से हटाने संबंधी उप विकास आयुक्त से प्राप्त अनुसंशा के आधार पर ग्रामीण विकास विभाग के स्तर से सूची को ग्राम सभा के पुर्नावलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को आवास सॉफ्ट के माध्यम से भेजी जाएगी तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा सूची को डाउनलोड कर ग्राम सभा के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा।

दि0-....................	अभिलेख उपस्थापित । श्री .... पिता/पति - .... ग्राम-...............टोला- ....ग्राम पंचायत- .... का नाम दिनांक- .... को आयोजित ग्राम सभा की कार्यवाही के आधार पर प्राथमिकता सूची के क्रम सं0-........ पर अंकित है। दिनांक-.................. को हुई ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही की कंडिका सं0-....... में उक्त परिवार का पुर्नावलोकन किया गया तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अयोग्य परिवारों के लिए निर्धारित मापदण्ड :- 1. परिवार के पास पक्का मकान है/ अन्य आवास योजना से लाभ प्राप्त परिवार 2. परिवार की मुखिया की मृत्यु हो गयी है और SECC डाटा में कोई वैध उत्तराधिकारी नामित नहीं है। 3. परिवार स्थायी रूप से पलायित हैं। 4. मोटर वाहन- दो/तीन/चार पहिया वाहन। 5. मैकेनाइज्ड तीन/चार/पहिया कृषि उपकरण। 6. 50,000/- रूपये या उसके उपर की क्रेडिट सीमा के साथ किसान क्रेडिट सीमा के साथ किसान क्रेडिट कार्ड। 7. सरकारी नौकरी में परिवार के सदस्य हो। 8. गैर पंजीकृत कृषि उद्यमी परिवार। 9. परिवार के किसी भी सदस्य जिसकी प्रति माह 10,000/- रूपये से अधिक की आय। 10. इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले परिवार। 11. व्यावसायिक टैक्स का भुगतान करने वाले परिवार।	अभिलेख एवं ग्राम सभा के कार्यवाही की स्कैन प्रति आवास सॉफ्ट के माध्यम से ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को अग्रसारित की गई। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी

	12. परिवार में रेफ्रीजेरेटर हो। 13. स्वयं का Landline फोन हो। 14. स्वयं की 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि तथा कम से कम एक सिंचाई उपकरणों के साथ हो। 15. स्वयं की 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि जहाँ एक मौसम में दो या अधिक फसल होती हो। 16. स्वयं की 7.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि तथा कम से कम एक सिंचाई उपकरणों के साथ। (जो लागू हो उसे (√) अंकित करें) के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत लाभ पाने के लिए पात्र नहीं पाया गया। अतः श्री .... पिता/पति - .... ग्राम- ....टोला-............................ग्राम पंचायत- .... का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की स्थायी प्रतीक्षा सूची से विलोपित किया जाता है। (नाम एवं हस्ताक्षर) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	

नोटः- ग्राम सभा की कार्यवाही के आधार पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा अयोग्य परिवार का नाम हटाने संबंधी प्रस्ताव के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के स्तर से अयोग्य परिवार का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की स्थायी प्रतीक्षा सूची से हटाया जायेगा।